भारत–पाक संबंध तथा शिमला समझौता

कमलेश दहीकर
सहायक प्रध्यापक
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट
kamleshdahikar@gmail.com

कॉग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नही रहे। भारत के विभाजन के साठ साल से भी अधिक हो चुके है, फिर भी यह प्रश्न लोगों के जेहन में है कि क्यों ब्रिटेन से मिलने वाली आजादी के साथ ही दो अलग देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। भारत–पाकिस्तान रिश्ते ने कई उतार – चढाव देखें है।

''एक बड़े क्षेत्र के बहुसंख्यकों को उनकी इच्छा के विपरीत एक ऐसी सरकार शासन में रहने के लिए बाध्य नही किया जा सकता। जिसमें दूसरे समुदाय के लोगों का बहुमत हो और इसका एकमात्र विकल्प – विभाजन।''

इन शब्दों के साथ ही भारत में ब्रिटेन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटेन ने घोषणा की कि ब्रिटेन एक देश को नही बल्कि दो देश को स्वतंत्रता देने जा रहा है। तब भारत की एकता बनाए रखने के साथ ही अल्पसंख्यक मुसलमानों के हितों को सुरखित रखने के ब्रिटेन के सभी संवैधानिक फॉर्मूले विफल हो चुके थे।

माउंटबेटेन ने अपना यह बयान 3 जून 1947 को दिया था और उसके 10 सप्ताह बाद ही उन्होने दोनो देशों के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग भी लिया।

14 अगस्त को कराची में वे स्पष्ट मुस्लिम पहचान के साथ गठित राष्ट्र के गवाह बने और इसके अगले दिन दिल्ली में भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा ले रहे थे। भारत की आबादी पाकिस्तान की तीन गुनी थी और ज्यादातर लोग हिन्दू थे।

ब्रिटिश जज रेडक्लिफ को दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण करने का दायित्व सौंपा गया था। रेडक्लिफ न तो इससे पहले भारत आए थे और न ही इसके बाद कभी आए। इसके बावजूद उन्होनें दोनों देशों के बीच जो सीमा रेखा खीचीं उससे करोडों लोग

असंतुष्ट हो गए। जल्दबाजी में किए गए इस विभाजन ने 20वीं शताब्दी की सबसे बडी त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। करोडों मुस्लिम सीमा के एक तरफ और हिन्दू –सिख दूसरी तरफ पहुंच गए। भारी संख्या में दोनों तरफ के लोगों को सीमा के पार जाना पडा। तनाव बढा और सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हो गए। इसमें कितने बेकसूर लोग मारे गए, इसका सही ऑकडा कोई नही बता सका।

इतिहासकार मानते हैं कि पांच लाख से अधिक लोग मारे गए, 10 हजार महिलाओं के साथ या तो बलात्कार हुआ या फिर उनका अपहरण हो गया। एक करोड से भी अधिक लोग शरणार्थी हो गए। जिसका असर आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति पर दिखता है।

भारत पिछली शताब्दी से ही स्वशासन की मांग कर रहा था और वर्ष 1920 से लेकर 1930 के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसने जोर पकडा भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में से अनेक लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि हिन्दू बहुल देश में रहना फायदेमंद नही होगा। मुस्लिम लीग के नेता मोहममद अली जिन्ना ने इस मांग को काफी मजबूती से उठाया।

मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करने लगी थी। विश्व युद्ध के बाद राज्यों में हुए चुनावों में मुस्लिम लीग के मजबूत प्रदर्शन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि अलग पाकिस्तान की उनकी मांग को अधिक दिनों तक अनदेखी नही की जा सकती है।

अनुमान है कि विभाजन के दौरान हिंसा में पांच लाख लोग मारे गए। सत्ता हस्तांतरण से साल भर पहले कलकत्ता में दोनों समुदायों में हिंसा शुरू हो गई थी, धीरे–धीरे फैलने लगी थी।

आजादी के दो दिन बाद ही जब यह घोषणा हो गई कि सीमाएं कहां होंगी? तो पंजाब हिंसा की आग में जल उठा। ट्रेनों में सीमा पार कर रहे लोगों की लाशें भेजी जाने लगी और कई बार तो उनके अंग भी क्षत विक्षत होते थे। दोनों तरफ ही महिलाएं हिंसा और बलात्कार की शिकार हुई।

इसके बाद से वर्षो से यह बहस का विषय बना हुआ है कि विभाजन सही था या गलत इससे बचा जा सकता था या नही। लेकिन दक्षिण एशिया के इतिहासकार मानते है कि अगर ब्रिटेन ने विभाजन के लिए इतनी जल्दबाजी नही दिखाई होती और इस थोडी तैयारी के साथ अंजाम दिया जाता, तो काफी हद तक कत्लेआम को टाला जा सकता था।

जम्मू–कश्मीर मसले की वजह से दोनों देशों के बीच संघर्ष बढा। यह राज्य भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मुस्लिम बहुल राज्य था। लेकिन यह किस देश के साथ जुडे यह फैसला जम्मू–कश्मीर के हिन्दू शासक को करना था। आजादी के कुछ ही दिनों बाद कश्मीर को लेकर भारत–पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया लेकिन इस विवाद का अब तक कोई हल नही निकल पाया।

पाकिस्तान के भूगोल को लेकर भी समस्या थी। इसके पूर्वी हिस्से में बंगाली बोलने वाले लोगों का बहुमत था और पश्चिमी हिस्से में पंजाबी बहुल लोग थे। पूर्वी हिस्से की जनसंख्या अधिक थी, लेकिन सत्ता और प्रभाव पश्चिम पाकिस्तान का अधिक था। वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी के संघर्ष में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ।

भारत और पाकिस्तान में लगातार प्रतिद्वंदता बनी रही और इसकी वजह से दक्षिण ऐशिया में क्षेत्रीय सहयोग कभी पनप नही पाया।

भारत में आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, कुल आबादी का लगभग सातवां हिस्सा। इस वजह से पाकिस्तान से तनाव के कारण भारत की धर्मनिरपेक्ष जीवन पद्धति और धार्मिक सहिष्णुता झुलस चुकी है।

वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1980 के दशक के अंत मे कश्मीर में अलगाववादी गतिविधि शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी खराब हुए है।

पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि वह कश्मीर के अलगाववादियों को सिर्फ नैतिक समर्थन दे रहा है जबकि भारत मानता है कि पडोसी देश मुस्लिम चरमपंथियों को संगठित करने के साथ ही हथियार मुहैया करा रहा है और प्रशिक्षण भी दे रहा है।

भारत और पाकिस्तान, उस हिंसा के साये से निकलने के लिए कोशिश करते रहे हैं जिसके बीच दोनों देशों का जन्म हुआ था। कश्मीर अधूरे विभाजन का एक पहलू भर है। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय पहचान बिल्कुल अलग है।

इन सबके बावजूद भारत और पाकिस्तान थोडी झिझक और कभी–कभी दर्द के साथ ही रिश्तों में मिठास घोलने की कोशिश करते हैं। अगर यह सफल हो गया तो दक्षिण एशिया में 1947 के विभाजन की कड़वी यादें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

इस समस्या के समाधान हेतु सन् 1972 में भारत–पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इसे शिमला समझौता कहते है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे।

जुल्फिकार अली भुट्टो ने 20 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उन्हें विरासत में एक टूटा हुआ पाकिस्तान मिला। सत्ता संभालते ही भुट्टो ने यह वादा किया कि वह शीघ्र ही बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में शामिल करवा लेंगे। पाकिस्तान सेना के अनेक अधिकारियों को देश की पराजय के लिए उत्तरदायी मानकर बर्खास्त कर दिया गया था।

कई महीने तक चलने वाली राजनीतिक–स्तर की बातचीत के बाद जून 1972 के अंत में शिमला में भारत–पाकिस्तान शिखर बैठक हुई। इंदिरा गांधी और भुट्टो ने अपने उच्च स्तरीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की। जो 1971 के युद्ध से उत्पन्न हुए थे। साथ ही उन्होने दोनों देशों के अन्य प्रश्नों पर भी बातचीत की। इनमें कुछ प्रमुख विषय थे– युद्ध बंदियों की अदला–बदली, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता का प्रश्न भारत और पाकिसतान के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना, व्यापार फिर से शुरू करना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना। लम्बी बातचीत के बाद भुट्टो इस बात के लिए सहमत हुए कि भारत–पाकिस्तान संबंधों को केवल द्विपक्षीय

बातचीत से तय किया जाएगा। शिमला समझौते के अंत में एक समझौते पर इंदिरा गांधी और भुट्टो हस्ताक्षर किए।

इनमें यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यह वचन दिया गया कि उप महाद्वीप में स्थाई मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा। इन उद्देश्यों के लिए इंदिरा गांधी और भुट्टों ने यह तय किया कि दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे और स्थिति में एकतरफा कार्यवाही करके कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वे एक दूसरें के विरूद्ध न तो बल प्रयोग करेंगे, न प्रादेशिक अखण्डता की अवहेलना करेंगे और न एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करेंगे। दोनों ही सरकारें एक दूसरे के विरूद्ध प्रचार को रोकेंगी और समाचारों को प्रोत्साहन देगी, जिनसे संबंधों में मित्रता का विकास हो। दोनों देशों के संबंधों का सामान्य बनाने के लिए : 1. सभी संचार संबंध फिर से स्थापित किए जायेंगे, 2. आवगमन की सुवधिाएं दी जाऐंगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकें और घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकें। 3. जहां तक संभव होगा व्यापार और आर्थिक सहयोग शीघ्र ही फिर से स्थापित किए जाएंगे, 4. विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान–प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्थायी शांति के हित में दोनों सरकारें इस बात के लिए सहमत हुई कि (1) भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं अपने–अपने प्रदेशों में वापस चली जाएंगी। (2) दोनों देशों नें 17 सितम्बर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी और (3) यह तय हुआ कि इस समझौते के बीस दिन के अंदर सेनाएं अपनी–अपनी सीमा से पीछे चली जाएंगी। यह तय किया गया कि भविष्य में दोनों सरकारों के अध्यक्ष मिलते रहेंगे और इस बीच अपने संबंध सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। भारत में शिमला समझौते के आलोचकों ने कहा कि यह समझौता तो एक प्रकार से भारत का समर्पण था, क्योंकि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था, अब उन्हें छोडना पडा। परन्तु शिमता समझौते का सबसे बडा लाभ यह हुआ कि दोनों देशों ने अपने विवादों को आपसी बातचीत से निपटाने का निर्णय किया। इसका अर्थ हुआ कि कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप न देकर, अन्य विवादों की तरह आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा।

संदर्भ :

कश्मीर टूडे, ले. गुलाम मोहम्मद बक्शी।
कश्मीर प्राब्लम, पी.एन.भट्ट।
कश्मीर रेट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्ट, ले.पी.जी. गजेन्द्र गडकर।
कश्मीर ऑन ट्रायल हिन्दू रूलर्स, मुस्लिम सब्जेक्ट